रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13102020-222415
CG-DL-E-13102020-222415

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 516] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 13, 2020/आश्विन 21, 1942
No. 516] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 13, 2020/ASVINA 21, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 2020

सं. 30/2020-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 630(अ).—जहां कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य, मलेशिया, श्रीलंका एवं थाईलैंड में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित "प्लेन मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड, 6 मि.मी. या इससे अधिक की मोटाई के" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के शीर्षक 4411 के अंतर्गत आता है, के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 48/2015-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 21 अक्टूबर, 2015, जिसे सा.का.नि. 801(अ), दिनांक 21 अक्तूबर, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को आगे जारी रखने के मामले में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात, जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 9क की उपधारा (5) के तहत और सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उनका मूल्यांकन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के नियम 23 के अनुपालन में प्रारम्भिकीकरण अधिसूचना संख्या 7/6/2020-डीजीटीआर, दिनांक 28 फरवरी, 2020, जिसे दिनांक 28 फरवरी, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत समीक्षा का कार्य शुरू किया है और उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (5) के अनुसार उक्त प्रतिपाटन शुल्क को आगे भी जारी रखने के लिए अनुरोध किया है;

अतः अब उक्त नियमावली के नियम 23 और 18 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 48/2015-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 21 अक्तूबर, 2015, जिसे सा.का.नि. 801(अ), दिनांक 21 अक्तूबर, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथाः-

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 के पश्चात, निम्नलिखित पैराग्राफ को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"3. पैराग्राफ 2 में निहित किसी बात के बावजूद, इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क 20 जनवरी, 2021 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, यदि इसके पहले इसको वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो, लागू रहेगा।"

[फा. सं. 354/131/2020–टीआरयू]

जे. एस. कंधारी, उप सचिव

नोटः प्रधान अधिसूचना सं. 48/2015-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 21 अक्टूबर, 2015, को सा.का.नि. 801(अ), दिनांक 21 अक्टूबर, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th October, 2020

No. 30/2020-Customs (ADD)

G.S.R. 630(E).—Whereas, the designated authority *vide* initiation notification No. 7/6/2020-DGTR, dated the 28th February, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 28th February, 2020, has initiated review in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act) and in pursuance of rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of "Plain Medium Density Fibre Board of thickness 6mm and above" falling under heading 4411 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, originating in or exported from China PR, Malaysia, Sri Lanka & Thailand, imposed *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 48/2015-Customs (ADD), dated the 21st October, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 801 (E), dated the 21st October, 2015, and has requested for extension of the said anti-dumping duty in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 23 of the said rules, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 48/2015-Customs (ADD), dated the 21st October, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 801 (E), dated the 21st October, 2015, namely:-

In the said notification, after paragraph 2, the following paragraph shall be inserted, namely: -

"3. Notwithstanding anything contained in paragraph 2, the anti-dumping duty imposed under this notification shall remain in force up to and inclusive of the 20th January, 2021, unless revoked, superseded or amended earlier.".

[F. No. 354/131/2020-TRU]

JAINENDRA SINGH KANDHARI, Dy. Secy.

Note : The principal notification No. 48/2015-Customs (ADD), dated the 21st October, 2015 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 801(E), dated the 21st October, 2015.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA